>

Title: Need to provide financial assistance from Calamity Relief Fund and National Calamity Contingency Fund to farmers whose crops have been damaged due to frost and cold waves in Rajasthan.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): भारत सरकार ने प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसल नष्ट होने पर मुआवजा देने का प्रावधान सीआरएफ एवं एनसीसीएफ नियमों के तहत कर रखा हे, लेकिन शीतलहर और पाला पड़ने जैसे घटनाओं से राजस्थान में किसानों की खड़ी एवं तैयार फसलें शीतलहर एवं पाला पड़ने के कारण बर्बाद हो रही है और किसानों को इसका कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है। किसान मेहनत करके फसलें तैयार करता है। एक तरफ भारत में कृÂिा क्षेत्र की ग्रोथ अपने निर्धारित दर को प्राप्त नहीं कर पा रही है, दूसरी ओर प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसान की खड़ी फसल नÂष्ट हो जाती है, इससे किसान को तो नुकसान होता ही है, लेकिन निर्धारित कृषि विकास दर प्राप्त नहीं करने के कारण राÂट्र को भी कृषि उत्पादन में बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है।

अतः मैं केंद्र सरकार के कृषि मंत्री से मांग करता हूं कि राजस्थान में जिन किसानों की फसल शीतलहर व पाले के कारण खराब हुई है , उन्हें उनकी फसल का पर्याप्त मुआवजा दिया जाए।